सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन कि आ.ख.नं. 417/0.02 हैक्टर वाके मौजा खेडा निहालपुरा तहसील कोटपूतली में अपीलान्ट की गै.मु. चाह की भूमि है। उपरोक्त ख.नं. गै.मु. चाह में बोरिंग का सूख जाने से तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया पर प.ह. से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त प्रार्थी/अपीलान्ट को दिनांक /2018 को बोरिंग की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति प्राप्त होते ही बोरिंग का काम किया तद्उपरान्त तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सूचित बिना सुनवायर का समुचित अवसर प्रदान किये ही दिनांक 27/6/2018 दी गयी। आज्ञा को निरस्त कर दिया जो तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित किया गया 29/6/2018 विधि विरूद्व है एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है, जो किया जावें, जबकि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट से तहसीलदार कोटपूतली को कराया गया था कि आ.ख.नं. 417/0.02 वाके मौजा खेडा निहालपुरा गै.मु. चाह मि है। उक्त गै.मु. चाह में पानी सूख गया है। विद्युत कनेक्शन भी राजेन्द्र के नाम । उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही तहसीलदार कोटपूतली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 0.02 गै.मु. चाह में बोरिंग करने की अनुमति प्रदान की गयी थी, इसको यह दर्शित हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी/अपीलान्ट ख.नं. 418 वाके मौजा खेडा पुरा में बोरिंग कर रहा है, जबकि अपीलान्ट द्वारा आ.ख.नं. 418 में बोरिंग ना कर 417/0.02 हैक्टर गै.मु. चाह में बोरिंग किया जा रहा था। अतः निवेदन है कि स्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/6/2018 को खारिज फरमाते हुए नम्बर 417/0.02 हैक्टर गै.मु. चाह में बोरिंग करने की अनुमति प्रदान करें।

र सरकार तहसीलदार कोटपूतली ने अपनी बहस में कथन किया कि /अपीलान्ट द्वारा आ.ख.नं. 418 वाके मौजा खेडा निहालपुरा में बोरिंग किया जा रहा जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मौका स्थिति बनाये रखने का स्थगन है। इसलिए स्वीकृती अज्ञा दिनांक 27/6/2018 को खारिज की गयी है।

क्षों की बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में ब्ध दस्तावेजात् एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया, मुताबिक प.ह. खेडा निहालपुरा की के आधार पर आ.ख.नं. 417 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. चाह मुताबिक जमाबंदी –2073 में खातेदारी राजेन्द्र राधेश्याम हिस्सा 4/7 वगैरह की खातेदारी अंकित है। न अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आ.ख.नं. 417/0.02 हैक्टर किस्म चाह वाके मौजा खेडा निहालपुरा में स्थित है, जिसमें बोरिंग में पानी सूख जाने से /अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर की रिपोर्ट के आधार पर 27/6/2018 को बोरिंग की स्वीकृति प्रदान की थी, को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही आज्ञा दिनांक 27/6/2018 को खारिज कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के न्तों के विपरीत है अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदारी कोटपूतली द्वारा अपनी बहस वगत कराया है कि उक्त बोरिंग ख.नं. 417/0.02 हैक्टर गै.मु. चाह में नहीं किया र ख.नं. 418 वाके मौजा खेडा निहालपुरा में किया जा रहा है, जिसमें स्थगन आदेश चूंकि ख.नं. 417/0.02 हैक्टर गै.मु. चाह है इसमें पूर्व में पानी सूख जाने से लान्ट/प्रार्थी द्वारा उक्त ख.नं. में बोरिंग करने के लिए तहसीलदार के यहां निवेदन ा जाना पाया जाता है, जिसकी स्वीकृति की दिनांक 27/6/2018 को जारी की है। इसलिए इसी ख.नं. 417/0.02 गै.मु. चाह में बोरिंग करने की स्वीकृति दिया ा न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा त आदेश दिनांक 29/6/2018 अपास्त किया जाता है। अपीलान्ट/प्रार्थी को ग्राम ा निहालपुरा के आ.ख.नं. 417/0.02 गै.मु. चाह में जो पूर्व में बोरिंग स्थित था बोरिंग में पानी सूख जाने से बोरिंग की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ख.नं. 418 मौजा खेडा निहालपुरा में बोरिंग नहीं करने बाबत अपीलान्ट/प्रार्थी को पाबन्द ा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6-2-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले यालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)